अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैंथल जिला दौसा राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री अमृता खण्डेलवाल (आर. ए. एस.)
मुकदमा नम्बर :– 27/2025
दायर दिनांक :– 12.09.2025
निर्णय दिनांक :– 17.11.2025

उनवान

1. कजोड पुत्र कल्याण
2. नन्दबिहारी पुत्र कल्याण
3. नारायण पुत्र कल्याण
   जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा

बनाम

1. कैलाश पुत्र भौरीलाल
2. जगदीश पुत्र भौरीलाल
3. रामकिशोर पुत्र भौरीलाल
4. हरिनारायण पुत्र भौरीलाल
   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सैंथल जरिये शाखा प्रबंधक
6. इंडियन बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंथल

उपस्थितिः 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा–अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.4600 है0, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7200 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.8400 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.4400 है0, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.4500 है0, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

3100 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.2100 है0, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 6.7900 है0 के 1/2 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार अप्रार्थीगण है व 1/2 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 है। प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का किसी भी प्रकार का काई हक अधिकार नहीं है, परन्तु व बिना अधिकार अवैध रूप से कब्जा करने व झगडा फसाद करने का आमदा रहते है तथा प्रार्थीगण की कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है तथा बेदखल करने की धमकी देते है। उक्त भूमि का विधिवत रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य तकास्ता नहीं हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को पाबन्द फरमावे कि स्वयं अथवा अपने परिवारजनों, एजेन्टों नौकरों सहयोगियों साथियों कारीगरों, मजदूरों ठेकेदारों आदि के द्वारा उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.4600 है0, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7200 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.8400 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.4400 है0, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.4500 है0, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.2100 है0, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 6.7900 है0 वाके ग्राम उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करने से व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने से अथवा हर प्रकार से अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करें।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 06.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार परीक ने वकालतनाम पेश किया तथा अप्रार्थी 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया। दिनांक 17.11.2025 को वकील उभय पक्ष उपस्थित तथा बहस सुनी गई।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः—इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.4600 है0, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7200 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.8400 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.4400 है0, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.4500 है0,

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

खसरा नम्बर 159 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.2100 है0, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 6.7900 है0 स्थित है। प्राथीगण का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। हमारा अभिमत है कि रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. सुविधा का संतुलनः– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं होगी। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है।
3. अपूरणीय क्षतिः– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथाः– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने व दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर निर्माण को लेकर आये दिन दोनों पक्षों में झगडे हो रहे है तथा दोनों पक्ष एक–दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो रहें है। वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने के लेकर दोनो पक्षों ने लडाई झगडे के कारण पुलिस थाना सैंथल में एक–दूसरे पर एफ.आई.आर भी दर्ज करा दी है। इस कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

::आदेश::

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अतंर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक उभयपक्षकारान के विरूद्ध इस आशय का पारित किया जाता है कि ग्राम उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.4600 है0, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7200 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.8400 है0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.4400 है0, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.4500 है0, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 165

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2600 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.2100 है0, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 6.7900 है0 में उभयपक्ष ताफैसला वाद मौके व भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल मूल वाद के हमकिता होवें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल